संख्या-513/2018/369/69-1-18-32(म0ब0-83)/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक : 08 अक्टूबर, 2018**

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-फिरोजाबाद की 14 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-309/2018/369/69-1-18-32(म0ब0-83)/2018 दिनांक 31.03.2018 को निरस्त करते हुये आपके पत्र संख्या-4563/10/छः/विविध/2017-18, दिनांक 19 फरवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "**मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत"** वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-फिरोजाबाद की नगर निगम, फिरोजाबाद, न0पा0परि0, शिकोहाबाद एवं न0पं0, एका की विभिन्न मलिन बस्तियों में इन्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 14 परियोजनाओं हेतु कुल **रू0 733.46 लाख** की **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रू0 366.73 लाख (रूपये तीन करोड़ छाछठ लाख तिहत्तर हजार मात्र)** की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमश:..........2

http://shasanadesh.up.nic.in

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि शासनादेश संख्या-309/2018/369/69-1-18-32(म0ब0-83)/2018 दिनांक 31.03.2018 द्वारा आवंटित धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया गया है।

7. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

9. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।

12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

क्रमशः..........3

http://shasanadesh.up.nic.in

15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **''2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान''** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-9-515/दस-2018, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-513/2018/369(1)/69-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, फिरोजाबाद।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-513/2018/369(1)/69-1-18-32(म0ब0-83)/2018, दिनांक 08 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	फिरोजाबाद	न0पं0, एका	मो0 नगला पान सहाय में दिनेश के मकान से छैल बिहारी के मकान तक, शिवचरन के मकान से छैलबिहारी के मकान तक, दिनेश के मकान से मुख्य मार्ग तक, राजेश के मकान से बसटूराम के मकान तक, श्यामवीर के मकान से जालिम सिंह के मकान तक, जालिम सिंह के मकान से भगवान सिंह के मकान तक, माया राम के मकान से श्यामबीर के मकान तक एवं भगवान सिंह के मकान से मुख्य मार्ग तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	37.89	18.945
2	तदैव	तदैव	मो0 महताबनगर में रूप किशोर के मकान से सरनाम सिंह के मकान तक, रामकिशन के मकान से देवेन्द्र के मकान तक, अशोक के मकान से कुंवरपाल के मकान तक, रामसेवक के मकान से दीपक के मकान तक, रामभरोसे के मकान से सुरेश चन्द्र के मकान तक, दाताराम के मकान से मुख्य मार्ग तक एवं महावीर के मकान से छोटे लाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	35.91	17.955
3	तदैव	तदैव	नगर पंचायत एका में बाल्मीकि बस्ती में कुंवरपाल के मकान से वीर पाल के मकान तक, रशपाल के मकान से कुंवरपाल वाली गली तक, रक्षपाल के मकान से साधू सिंह के मकान तक एवं मुन्ना लाल के मकान से कामता प्रसाद के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	40.68	20.34
4	तदैव	नगर निगम, फिरोजाबाद	मो0 नगला पान सहाय में भारत गैस से पप्पू के मकान तक, मलखान के मकान से कोटला रोड तक, अमर पाल, महेन्द्र सिंह के मकान से मुख्य मार्ग तक, राजवीर के मकान से राम सनेही के मकान तक, श्यामलाल के मकान से मुन्नालाल के मकान तक, राजवीर के मकान से श्याम लाल के मकान तक एवं रवीन्द्र के मकान से लाला के मकान तक एवं नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	40.10	20.05
5	तदैव	तदैव	मो0 नगला पान सहाय में पप्पू के मकान से राजू के मकान तक, मथुरा प्रसाद के मकान से प्रकाश के मकान तक, प्रकाश के मकान से पप्पू के मकान तक, गंगा देवी के मकान से भूरे के मकान तक, रामनिवास के मकान से बृजेश के मकान तक राजू के मकान से वेदपाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	40.71	20.355

http://shasanadesh.up.nic.in

6	तदैव	तदैव	शिकोहाबाद में प्रतापपुर रोड पर संजू के मकान से मुरलीधर के मकान तक, सुनील के मकान से संजू के मकान तक, कमलेश के मकान से सदन सिंह के मकान तक, कमलेश के मकान से प्रतापपुर रोड तक, मान सिंह के मकान से उमाशंकर के मकान तक, नगला किला रोड में, दीपक के मकान से शंकर दयाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	38.75	19.375
7	तदैव	तदैव	मो0 फफोट रोड पर ब्रिजी के मकान से शिवराम के मकान तक, नरेश के मकान से वीरेन्द्र के मकान तक, सुभाष के मकान से नरेश के मकान तक, राजकुमार के मकान से नरेश के मकान तक, करन सिंह के मकान से मुख्य मार्ग तक, यशपाल के मकान से सुरेश के मकान तक, स्मारक मिलन केन्द्र से मुख्य मार्ग तक, देव कुमार के मकान से रामसिंह के मकान तक, राम चन्द्र के मकान से देव कुमार के मकान तक, राज पाल के मकान से मुख्य मार्ग तक, बुलाकी राम के मकान से मुख्य मार्ग तक एवं राजा कौशल किशोर इण्टर कालेज से बुलाकी राम के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	52.53	26.265
8	तदैव	तदैव	ओमनगर में सुभाष चन्द्र के मकान से गुड्डू के मकान तक, सुभाष चन्द्र के मकान से राजू के मकान तक, सुभाष चन्द्र के मकान से कप्तान सिंह के मकान तक, रामू के मकान से गुड्डू के मकान तक, नेम सिंह के मकान से कप्तान सिंह के मकान तक एवं पातीराम के मकान से मैनपुरी रोड तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	51.55	25.775
9	तदैव	न0पा0परि 0, शिकोहाबाद	नगला पान सहाय में कोटला रोड से बिट्टू के मकान तक, सुभाष के मकान से बच्चू के मकान तक, मलखान सिंह के मकान से संजय के मकान तक, छोटे सिंह के मकान से मथुरा प्रसाद के मकान तक, कायम सिंह के मकान से सुरेश के मकान तक, संजय के मकान से मलखान एवं सोवरन ब्रम्हचारी के मकान तक, भूरी सिंह के मकान से अखिलेश के मकान तक, भगवान सिंह के मकान से पप्पू के मकान तक एवं बिट्टू के मकान से केदारी लाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	48.38	24.19
10	तदैव	तदैव	मो0 खेड़ा में सोनपाल के मकान से बुलाकीराम के मकान तक, कुंवरपाल के मकान से भगवती के मकान तक, राजेन्द्र के मकान से मुख्यमार्ग तक, रनवीर के मकान से भोले के मकान तक, विनोद के मकान से भोले के मकान तक, भोले के मकान से मुन्ना लाल के मकान तक, देवेन्द्र के मकान से मुन्ना लाल के चौक तक, प्रमोद के मकान से भोले के मकान तक एवं मुन्नालाल के मकान से भूरेलाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	69.30	34.65
11	तदैव	नगर निगम,	मो0 नगला विश्नू में छोटे लाल इण्टर कालेज तक, शंकर के मकान से गिरेन्द्र के मकान गिरेन्द्र से रामविलास, महेश	91.37	45.685

http://shasanadesh.up.nic.in

		फिरोजाबाद	से बोरलाल, गिरेन्द्र से मुख्यमार्ग तक, धर्मेन्द्र से पीर पतंगा बाजार तक, सतेन्द्र के मकान से सर्वेश के मकान तक, छोटे लाल कालेज से दिनेश के मकान तक, दिनेश के मकान से रिंचू के मकान तक, रामगोपाल के मकान से रमेश के मकान तक, तुलसी के मकान से महावीर के मकान तक, बब्लू के मकान से गुड्डू के मकान तक, गुड्डू के मकानसे रामखिलाडी के मकान तक, सीताराम के मकान से राकेश के मकान तक एवं सुभाष के मकान से दीपचन्द्र के मकान तक नाली निर्माण एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।		
12	तदैव	तदैव	मो0 न्यू प्रीतम नगर में राम प्रताप के मकान से मोहन लाल तक, हरि प्रासाद से भगवान दास तक, ज्ञान स्वरूप के मकान से भगवान स्वरूप के मकान तक, भगवान स्वरूप से बृजेश, शिवकुमार से रमेश, बृजेश से शंकर, बीरबल के मकान से मुख्य मार्ग तक, मुकेश के मकान से रामवीर के मकान तक, राम प्रकाश के मकान से मुख्य मार्ग तक, नेत्रपाल के मकान से छोटे लाल के मकान तक (कावला में), छोटे लाल के मकान से राकेश के मकान तक, एवं राम सेवक के मकान के से महावीर के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	89.37	44.685
13	तदैव	न0पा0परि 0, शिकोहाबाद	मो0 सत्तूनगर में साठपुरा रोड पर मुन्ना लाल के मकान से पप्पू के मकान तक, पप्पू के मकान से सीताराम के मकान तक, विद्याराम के मकान से साठ फुटा रोड तक लाला बर्फ वाले से कांशीराम के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	24.23	12.115
14	तदैव	तदैव	मो0 महतबा नगर में राजपाल के मकान से जगन्नाथा तक, प्रेमनारायण से विजय सिंह तक, राकेश से सुखलाल तक, साहू से प्रेमनारायण तक, प्रेमनारायण से मुख्यमार्ग तक, सोमवीर से कालीचरन तक, शिवचरन से करन सिंह तक, दौलत राम से जगन्नाथ तक, पप्पू से पूजा राम तक, दुर्गाभावन से महबूत राठौर तक, पप्पू से सुनील तक एवं सुनील से सुभाष तक इण्टरलाकिंग एवं नाली कार्य।	72.69	36.345
योग				**735.59**	**366.73**

(रूपये तीन करोड़ छाछठ लाख तिहत्तर हजार मात्र)।

(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in